



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 ज्येष्ठ 1943 (श10)
(सं0 पटना 333) पटना, सोमवार 7 जून 2021

गृह विभाग (कारा)

अधिसूचना

10 मार्च 2021

सं0 कारा/स्था0 (अधी0) 01-12/2014-2416-भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल "बिहार कारा सेवा नियमावली, 2014 (समय-समय पर यथा संशोधित)" में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।-** (1) यह नियमावली "बिहार कारा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021" कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
- बिहार कारा सेवा नियमावली, 2014 का नियम-4 (क)(iv) का प्रतिस्थापन।-** उक्त नियमावली का नियम 4(क)(iv) निम्नलिखित द्वारा प्रस्थापित किया जायेगा :-
"सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु सीमा वही होगी जो बिहार पुलिस सेवा के चयन हेतु विहित है।"
- बिहार कारा सेवा नियमावली, 2014 का नियम-4 (क) में उपनियम (vii) का जोड़ा जाना।-** उक्त नियमावली के नियम 4 (क) (vii) निम्नवत् जोड़ा जायेगा :-

“(vii) बिहार कारा सेवा में चयन हेतु शारीरिक मापदण्ड वही होगा जो बिहार पुलिस सेवा के चयन हेतु विहित है।”

4. बिहार कारा सेवा नियमावली, 2014 का नियम-7 में उपनियम (iv) का जोड़ा जाना।—उक्त नियमावली के नियम 7 (iv) निम्नरूपेण जोड़ा जायेगा :—

“(iv) सीधी भर्ती से नियुक्त पदाधिकारी को नियुक्ति के बाद प्रथम वेतन वृद्धि के पश्चात् अगली वेतन वृद्धि तभी मिलेगी जब वे विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे एवं कोषागार प्रशिक्षण भी संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लेंगे।”

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खाँ,
संयुक्त सचिव—सह—निदेशक (प्र०)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 333-571+10-डी०टी०पी०
Website: <http://egazette.bih.nic.in>